निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

<u>आदेश</u>

स0स0–11 / टी0बी0(कोर्ट)–23 / 2024–190..(11) / पटना, दिनाक– 11/03/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के विज्ञापन सख्या–01 / 1997 के माध्यम से बी०सी०जी० प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

2 उक्त के आलोक मे निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के आदेश ज्ञापाक–936(11), दिनाक–15 09 2018 के द्वारा निम्न कर्मियो को नियुक्त करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापाक–981(11), दिनाक–28 09.2018 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयो मे पदस्थापित किया गया।

क्र० सं०	नाम / पदनाम	पदस्थापन स्थान	अवमाननावाद संख्या–1711 / 2016 में पारित न्यायादेश के आलोक में वास्तविक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1	**श्री विनोद प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (यक्ष्मा), बिहार, पटना,	03.10 2018
2	**श्री राज कुमार पासवान,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर	01 10 2018
3	**श्री रामानन्द चौधरी,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, नवादा	01 10.2018
4	**श्री नवल किशोर प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, नालदा	03 10.2018
5	**श्री दिनेश प्रसाद पाल,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	05 10 2018

3 उपरोक्त कर्मियो की नियुक्ति दिनाक–31 08.2005 के उपरात होने के कारण इन्हे पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त नही हो सका है, जिसके कारण उपरोक्त कर्मियो के द्वारा पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दायर CWJC NO.3114/2019 अरविन्द प्रसाद एव अन्य बनाम राज्य सरकार एव अन्य मे दिनाक–28 02 2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अश निम्नवत है–

"In the light of the submissions made by the parties, this Court disposed of this writ petition directing the petitioners to file representation before the Respondent No 2 i e The Director-in-Chief, Health Services, Government of Bihar, New Secretariat, Patna who shall take decision on the representation filed by the petitioners within 90 days from the date of filing of the fresh representation along with the order passed by this Court "

4 उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालन मे वित्त विभागीय सकल्प सख्या–1206(पे0), दिनाक–28 11.2023 मे निहित प्रावधानो के आलोक मे याचिकाकर्ता / आवेदक से विकल्प की माग की गई तथा उक्त सकल्प के आलोक मे कडिका–4 मे पुरानी पेशन योजना से आच्छादित करने हेतु निर्धारित शर्तो के आलोक मे प्रस्तुत मामले की समीक्षा की गयी –

(क) प्रस्तुत मामले से सबधित विज्ञापन वर्ष 1997 मे प्रकाशित हुआ था। इससे स्पष्ट है कि विज्ञापन / रिक्ति दिनाक–01.09 2005 से काफी पूर्व का था।

(ख) उपर्युक्त विज्ञापन सख्या–01 / 97 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशसा के आधार पर चयनित कतिपय अभ्यर्थियो की नियुक्ति वर्ष 2000 मे पुरानी पेशन योजना के तहत की गई थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना मे दायर अवमाननावाद सख्या–1711 / 2016 अरविन्द प्रसाद एव अन्य बानाम् राज्य सरकार एव अन्य (सिविल रिव्यू सख्या–133 / 2003, सुर्दशन प्रसाद सिह एव अन्य बनाम् राज्य सरकार एव

अन्य मे दिनाक–10 09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) मे दिनाक–31 08 2018 को पारित न्यायादेश के आलोक मे याचिकाकर्ताओ की नियुक्ति वर्ष 2018 मे नयी पेंशन योजना के तहत की गई है। सकल्प की कडिका–4(ii) की शर्त्त के अनुरूप है।

(ग) प्रस्तुत नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भिक स्तर से ही न्यायिक वादो से अच्छादित रही है, जो सकल्प की कडिका–4 (iii) की शर्त्त के अनुरूप है।

5 उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति एव CWJC NO.3114/2019 अरविन्द प्रसाद एव अन्य बनाम राज्य सरकार एव अन्य के अनुपालन मे क्रमांक–01 से 05 तक के बी0सी0जी0 प्रावैधिक को पुरानी पेशन योजना से आच्छादित करने एव विज्ञापन सख्या–01/97 मे बी०सी०जी० प्रावैधिक के प्रथम नियुक्ति की तिथि 16 03 2000 से वैचारिक लाभ एव वास्तविक योगदान की तिथि (कडिका–2 के अकित कर्मियो से सबधित विवरणी के कॉलम–4 मे अकित) से आर्थिक लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ० प्रणय राज शरण सिन्हा)
निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–11/टी0बी0(कोर्ट)–23/2024–190 (11)/ **पटना, दिनांक**– 11/03/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (यक्ष्मा), बिहार, अगमकुऑ, पटना/अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एव प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुऑ, पटना–7 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सचारी रोग, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालदा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), एव पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालदा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), एव पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सबधित बी0सी0जी0 प्रावैधिक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना